न्यायालय परगनाधिकारी, बिजनौर।

वाद संख्या– /2011–12
मौजा– महगाली
ज्ञानदीप चैरिटेबिल ट्रस्ट,बिजनौर
द्वारा मुख्य ट्रस्टी अनन्त गुप्ता

धारा–143जेड0ए0एण्डएल0आर0एक्ट
परगना–दारानगर

बनाम सरकार

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही ज्ञानदीप चैरिटेबिल ट्रस्ट बिजनौर द्वारा मुख्य ट्रस्टी अनन्त गुप्ता पुत्र राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, निवासी गीता नगरी बिजनौर की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 143 जेड0ए0 एण्ड एल0आर0एक्ट पर प्राप्त तहसीलदार बिजनौर की आख्या दिनांक 22.11.11 के आधार पर प्रारम्भ की गयी। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये कहा गया है कि मौजा मंहगाली परगना दारानगर के खाता संख्या 59 के गाटा संख्या 385/0.232, 386/0.354, 387/0.298, 388/0.658, 389/0.352, 390/0.416 तथा 391/0.420है0 कुल सात रकबा 2.730है0 लगान 42.95 पैसे के संक्रमणीय भूमिधर काबिज व दखील है। उपरोक्त भूमि कृषि कार्य के उपयोग में नहीं आ रही है। इस भूमि का उपयोग शैक्षिक भवन, छात्रावास कार्यालय के उपयोग में लाना चाहता है। अतः उपरोक्त भूमि को अकृषिक भूमि घोषित कराने की प्रार्थना की है।

प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार बिजनौर की आख्या दिनांक 22.11.11 जो निर्धारित प्रारूप नियम 135 आकार पत्र पर प्राप्त हुई है, के अन्तर्गत उल्लेख किया है कि स्थित मौजा महंगाली परगना दारानगर खाता संख्या 59 के गाटा संख्या 385/0.232, 386/0.354, 387/0.298, 388/0.658, 389/0.352, 390/0.416 तथा 391/0.420है0 कुल सात रकबा 2.730है0 लगान 42.95 पैसे पर ज्ञानदीप चैरिटेबिल ट्रस्ट बिजनौर द्वारा मुख्य ट्रस्ट अनन्त गुप्ता पुत्र राजेन्द्र गुप्ता निवासी बी–21–22 गीता नगरी बिजनौर का नाम संकमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। इस भूमि में कृषि कार्य, पशुपालन मत्स्यपालन कुकुटपालन सम्बन्धी कार्य नहीं हो रहा है। भूमि मौके पर खाली व आबादी में प्रयोग में लाई जा रही है। भूमि ग्राम समाज की भी नहीं है। अतः प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित करने एवं लगान मुक्त किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित प्रस्तुत की गयी है।

न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी की ओर से प्रस्तुत शपथ–पत्र में कहा गया है कि मौजा महंगाली परगना दारानगर के खाता संख्या 59 के गाटा संख्या 385/0.232, 386/0.354, 387/0.298, 388/0.658, 389/0.352, 390/0.416 तथा 391/0.420है0 कुल सात रकबा 2.730है0 का संकमणीय भूमिधर काबिज व दखिल हूँ। उक्त भूमि पर कृषि कार्य नही हो रहा है। उक्त आराजी में आबादी गतिविधियां विद्यमान है तथा निर्माण कार्य चल रहा है। उक्त भूमि ग्राम समाज एवं पट्टे की नहीं है। उक्त भूमि को आबादी घोषित कराने का अनुरोध किया है। तहसीलदार बिजनौर की आख्या दिनांक 22.11.2011 एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य अभिलेखों का परिशीलन किया गया। तहसीलदार, बिजनौर की आख्या से स्पष्ट है कि मौजा महंगाली परगना दारानगर के गाटा संख्या खाता संख्या 59 के गाटा संख्या 385/0.232, 386/0.354, 387/0.298, 388/0.658, 389/0.352, 390/0.416 तथा 391/0.420है0 कुल सात रकबा 2.730है0 लगान 42.95 पैसे पर कृषि कार्य, पशु पालन, कुकुट पालन, मत्स्य पालन, आदि से इतर उपयोग किया जा रहा है। अतः उपरोक्त आख्या दिनांक 22.11.11 के आधार पर प्रश्नगत उक्त आराजी कृषि कार्य, पशु पालन, कुकुट पालन, मत्स्य पालन आदि से भिन्न प्रयोजन हेतु उद्घोषित किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः तहसीलदार, बिजनौर की आख्या दिनांक 22.11.11 के आधार पर प्रश्नगत आराजी स्थित मौजा–महंगाली परगना दारानगर के खाता संख्या 59 के गाटा संख्या 385/0.232, 386/0.354, 387/0.298, 388/0.658, 389/0.352, 390/0.416 तथा 391/0.420है0 कुल सात रकबा 2.730है0 लगान 42.95 पैसे अकृषिक घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाये। आदेश की एक प्रति तहसीलदार, बिजनौर को राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि हेतु तथा एक प्रति उप निबन्धक बिजनौर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफतर की जाये।

दिंनाक– 1/12/11

(मंजू लता)
परगनाधिकारी, बिजनौर।

आज यह आदेश मेरे दवारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिंनाक– 1/12/11

(मंजू लता)
परगनाधिकारी, बिजनौर।

csf = 131/

5रु. COURT FEE Rs.5 भारत INDIA

5रु. Rs.5 भारत

2रु. कोर्ट फीस Rs.2 COURT FEE भारत INDIA

1रु. कोर्ट फीस Re.1 COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

627

मांगने की ता.

प्राप्त ... ता. ... दिनांक ...15

प्रतिलिपि ... दिनांक ...15

स्टाम्प शुल्क 131/

शब्दों की संख्या 54/

5

प्रतिलिपिक

मिलानकर्ता